

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- 328 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: 08 मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा(1) का खण्ड (i) के सपटित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 364 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से उत्तराखण्ड में "वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है" में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क)- पर्वतीय क्षेत्र के लिये विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर निम्नवत् होंगी:-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	छटाई व गिराना	8232
2	चिराई (क) चीड़ की लकड़ी (ख) देवदार स्पूस	8232 8584
3	चिरान	8943
4	छाल उतारना	8584
5	बल्लियाँ बनाना	8584
6	स्लेश मेकिंग	8584
7	कन्धा ढुलान (क) मुख्य गिरान (ख) छितरा गिरान	8584 8943
8	लाग स्लाइड	8943
9	नाली बहान	8943
10	खड्ड बहान	8943
11	नदी बहान	8943
12	कोई अन्य कुशल श्रम	8943

16/3/19

13	लादना :- (क) गोल इमारती लकड़ी (ख) चिरी इमारती लकड़ी	8943 8584
14	उतारना :- (क) गोल इमारती लकड़ी (ख) चिरी इमारती लकड़ी	8584 8584
15	बागान जिसमें नर्सरी और वानिकी भी सम्मिलित है	8584
16	लीसा छेदन :- (क) अकुशल (ख) कुशल	8584 8943
17	सड़क एवं भवन निर्माण :- (क) अकुशल (ख) कुशल	8584 8943
18	औषधि जड़ी बुटियों का संग्रह	8584

(ख) तराई भावर क्षेत्र के लिये विभिन्न वर्गों के कार्य के लिए कर्मचारियों को देय मजदूरी की सर्वसमावेशी दरें निम्नलिखित होंगी :-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	छांटना, गिराना, चीरना और छाल उतारना	8584
2	स्लेश मेकिंग	8232
3	जंगल, चिरान, (फील्ट सायेंग)	8943
4	बांस काटना (प्रति कोड़ी) (क) चढ़ाव (ख) बाही, खपरैल, कण्डेरू, और बन्सौरी (ग) कैसाल, कनोस, खुन्ता और सरैचा	8232 8232 8232
5	बागान जिसमें नर्सरी, वानिकी भी सम्मिलित है	8232
6	सड़क व भवन निर्माण (क) अकुशल (ख) कुशल	8232 8943

(ग)- मैदानी क्षेत्र के लिये विभिन्न वर्गों के कार्य के लिए कर्मचारियों को देय मजदूरी की सर्वसमावेशी दरें निम्नलिखित होंगी:-

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	छांटना, गिराना, चीरना और छाल उतारना	8553
2	स्लेश मेकिंग	8232
3	बांस काटना (प्रति कोड़ी) (क) चढ़ाव (ख) बांही, खपरैल, कण्डेरू, और बसौरी (ग) कसौल, कनात, खुन्ता और सरैचा	8232 8232 8232
4	कोई अन्य अकुशल श्रम	8232
5	लादना :- (क) गोल इमारती लकड़ी (ख) चिरी इमारती लकड़ी	8232 8232
6	उतारना :- (क) गोल इमारती लकड़ी (ख) चिरी इमारती लकड़ी	8232 8232
7	इमारती लकड़ी का रख रखाव और चट्टा बनाना	8232
8	जलौनी लकड़ी का रख रखाव और चट्टा बनाना	8232
9	साल के बीज संग्रह	8232
10	तेन्दू पत्रों का संग्रह	8232

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को रू० 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

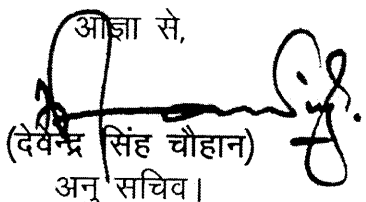
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।
- 7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
- 8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
- 9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

/ (हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या:- 328 (1)/VIII/19-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेंद्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।